जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 22.03.2023

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा आदर्शमण्डी क्षेत्रांतर्गत हुई लूट की घटना का किया सफल अनावरण , लुटेरों से हुई मुठभेड में 01 शातिर लुटेरा घायल/गिरफ्तार , कब्जे से लूटी गई पीली धातु की चैन , अवैध हथियार मय जिन्दा व खोखा कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामदः-

आज दिनांक 22.03.23 को ग्राम राझड थाना गढ़ीपुख्ता से सत्यनारायण इण्टर कालेज शामली में साक्षात्कार देने आई महिला से बदमाशो द्वारा चैन लूट की घटना कारित की गई। घटना के सम्बंध में थाना आदर्शमण्डी पर मु0अ0स0 52/23 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थानाध्यक्ष आदर्शमण्डी को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा महिला से लूट की घटना कारित करने वाले बदमाशों से गोहरनी बाईपास रोड़ पर हुई मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में एक बदमाश कल्लू उर्फ कुलदीप पुत्र जय प्रकाश निवासी कस्बा टीकरी , थाना दोघट, जिला बागपत को घायल/गिरफ्तार करते हुए लूट की घटना का सफल अनावरण करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल शामली में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की फायरिंग में का 0 आकाश जैनर भी घायल हुआ हैं , जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल शामली में भर्ती कराया गया है गिरफ्तार/घायल अभियुक्त के कब्जे से लूटी हुई एक चैन व एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार/घायल बदमाश का नाम व पता-

1.कल्लू उर्फ कुलदीप/ स्व श्री जय प्रकाश निवासी कस्बा टीकरी, थाना दोघट, जिला बागपत।

नोटः-(गिरफ्तारशुदा बदमाश थाना दोघट का एचएस है जिसका एचएस नं0 - 621ए है।)

फरार बदमाश का नाम व पता-

1.हासिम पुत्र रफीक निवासी मोहल्ला कलंदरशाह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.पीली धातू की एक चैन।

2.एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।

3.घटना में प्रयुक्त काले रंग की प्लसर मोटरसाइकिल।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कल्लू उर्फ कुलदीप -

1.मु0अ0सं0 0000/2011 धारा 392 भादवि थाना फुगाना, मु0नगर।

2.मु0अ0सं0 0003/2011 धारा 41/102/411 भादवि थाना दोघट, बागपत।

3.मु0अ0सं0 0021/2014 धारा 307 भादवि थाना दोघट, बागपत।

4.मु0अ0सं0 0160/2014 धारा 302/341/504 भादवि थाना दोघट, बागपत।

5.मु0अ0सं0 0092/2016 धारा 25, 27 आयुध अधि0 थाना दोघट, बागपत।

6.मु0अ0सं0 0093/2016 धारा 414 भा दं सं थाना दोघट, बागपत।

7.मु0अ0सं0 0378/2018 धारा 379 भा दं सं थाना दोघट, बागपत।

8.मु0अ0सं0 0106/2019 धारा 392, 411 भा दं सं थाना दोघट, बागपत।

9.मु0अ0सं0 0107/2019 धारा 392, 411 भा दं सं थाना दोघट, बागपत।

10.मु0अ0सं0 0232/2019 धारा 2, 3 गैंगस्टर एक्ट थाना दोघट, बागपत।

11.मु0अ0सं0 0195/2020 धारा 4, 25 आयुध अधि0 थाना दोघट, बागपत।

12.मु0अ0सं0 0052/2023 धारा 392, 411 भादवि थाना आदर्शमंडी, शामली।

13.मु0अ0सं0 0053/2023 धारा 307, 411, 414, 465 भादवि थाना आदर्शमंडी, शामली।

14.मु0अ0सं0 53/2023 धारा 307,411,414,465 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

साइबर क्राइम सेल शामली व थाना बाबरी पुलिस द्वारा सेक्सटॉर्सन से सम्बन्धित मामले में ठगी करने वाले गिरोह के 01 अभियुक्त/ठग को किया गिरफ्तार, कब्जे से पीडित से ठगी गयी रकम में से 50,000 रूपये बरामद।

दिनांक 23.11.2022 को आवेदक श्री प्रमोद कुमार शर्मा निवासी शामली द्वारा पुलिस अधीक्षक शामली के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया कि उनके मोबाइल पर एक अश्लील विडियो कॉल कर उनसे की गयी विडियो कॉल की रिकार्डिंग वॉटसएप पर दिखाकर, 06 लाख 73 हजार रूपये फर्जी पुलिस /फर्जी यूटयूब अधीकारी बनकर ठग लिये हैं , जिसकी जांच साइबर क्राइम सेल शामली को सोपी गयी, जांच के दौरान वादी से ठगे गये रूपये के सम्बन्ध में सम्बन्धित बैंक ट्रान्जेक्शन की जानकारी की गई तो पाया कि उक्त में कई खातों का इस्तेमाल कर धोखाधडी की गई है , जिसकी केवाईसी से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर थाना बाबरी जनपद शामली पर पंजीकृत मु.अ.सं. 215/2022 धारा 406/420 भादवि व 66/66डी आईटी एक्ट पंजीकृत कराया गया। जिसके क्रम मे आज दिनांक 22.03.2023 को 01 अभियुक्त को साइबर सेल शामली व थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना कामा क्षेत्र जनपद भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है , गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध मे थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। साइबर क्राइम सेल शामली द्वारा उपरोक्त पंजीकृत मुकद्दमें में प्राप्त बैंक खातों के आधार पर तकनीकी विश्लेषण कर जानकारी प्राप्त की गयी तथा उनके नाम व पतों को तस्दीक किया गया तो वह जनपद भरतपुर राजस्थान क्षेत्र के पाये गये।

कार्यप्रणाली व पूछताछ विवरणः- पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त शौकीन पुत्र आस मौहम्मद नि0 ग्राम सबलगढ थाना जुरहेरा जनपद भरतपुर राजस्थान ने बताया कि मै और मेरा भाई जुबेर काफी दिनो से धोखाधडी के कार्य मे लिप्त है हम लोग फर्जी सिमो के माध्यम से टारगेट व्यक्तियों को कॉल करते है तथा टारगेट व्यक्तियों की फेसबुक आईडी पर भी लडकी का प्रोफाइल बनाकर फ्रेंड रिकवेस्ट भेजते है। उसके बाद टारगेट व्यक्तियों से फेसबुक मैसेंजर पर बात करके उनके व्हाटसएप नम्बर प्राप्त कर वीडियो कॉल करते है एवं पास रखे दूसरे मल्टीमीडिया मोबाइल मे एक अश्लील लडकी का चलचित्र टारगेट व्यक्ति को दिखाकर स्क्रीन रिकार्ड कर लेते है। उसके बाद हम टॉरगेट व्यक्तियों को फर्जी सिम कार्ड से कॉल करके यूट्यूब अधिकारी व पुलिस अधिकारी की फर्जी प्रोफाइल लगाकर व्हाटसएप कॉल करके टारगेट व्यक्ति को ब्लैक मेल कर धोखाधडी करके पैसे हडप लेते है। मेरा भाई जुबेर फर्जी खातो का इन्तजाम करता है। उन फर्जी खातो मे हम लोग टारगेट व्यक्तियो से जो रूपये हडपते है उनको टारगेट व्यक्तियों से ट्रान्सफर करा लेते है। उसके बाद उन रूपयो को कई अकाउटों मे घुमा-फिराकर अपने मेन अकाउंट मे लेकर एटीएम व चैक के माध्यम से रूपये बैंक से कैश निकाल लेता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1.शौकिन पुत्र आस मौहम्मद निवासी सबलगढ थाना जुरहेरा, भरतपुर राजस्थान।

बरामदगी विवरणः-

1.नगद धनराशी 50,000/- रूपये।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा गोवध अधिनियम मामले में वांछित 01 अभियुक्ता गिरफ्तारः-

आज दिनांक 22.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वाछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा गोवध अधि 0 मामले में वांछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्ताः-

1. शबनम पत्नी युनूस निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।